(22)

कैलाश पिता नानुराम मुणिया,
निवासी – ग्राम सुअरपाडा तह. पेटलावद
जिला झाबुआ (म.प्र.) —— आवेदक

विरूद्ध

1. झीतरा पिता हेमला मैड़ा (मृतक) के वारिसगण
अ. नानका पिता झीतरा मैड़ा
ब. राजू पिता झीतरा मैड़ा,
स. श्रीमती रामीबाई पिता झीतरा मैड़ा पति रमेश
द. राधाबाई पिता झीतरा मैड़ा पति मांगु
इ. श्रीमती सुन्दरबाई पति झीतरा मैड़ा
समस्त निवासी ग्राम रायपुरिया तह. पेटलावद
2. अमरा पिता हेमला मैड़ा (मृतक) के वारिसगण
अ. पीरू पिता अमरा मैड़ा
ब. गोपाल पिता अमरा मैड़ा
समस्त निवासी ग्राम रायपुरिया तह. पेटलावद
जिला झाबुआ (म.प्र.) —— अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 402–दो/2014 जिला झाबुआ

कैलाश विरूद्ध छीतरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–4–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ के प्रकरण क. 120/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 17–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में उपलब्ध अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 17–12–14 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष किये जाने का प्रावधान है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। (डा0 मधु खरे) सदस्य	